

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)



(एन.सी.टी.ई. की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये महाविद्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन)

(बी.एड., एम.एड पाठ्यक्रम हेतु एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अनुसार)

महाविद्यालय का नाम जिसका निरीक्षण होना है	पाठ्यक्रम जिनमें निरीक्षण किया जाना है

निरीक्षण दिनांक .....

निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम

01.

02.

03.

## महाविद्यालय की निरीक्षण संक्षेपिका

दिनांक .....

अ. अशासकीय महाविद्यालय हेतु :

1. महाविद्यालय संचालन समिति का नाम  
.....
2. रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं दिनांक  
.....
3. रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण आदेश का क्रमांक एवं दिनांक \*  
.....
4. महाविद्यालय की शासी निकास के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची \*  
(प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)  
.....
5. महाविद्यालय की शासी निकाय का गठन किये जाने का दिनांक \*  
( प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)  
.....
6. पिछले वर्ष शासी निकाय की कितनी बैठक हुई उसकी जानकारी \*  
.....
7. शासी निकाय का गठन एवं निर्धारित बैठकों की संख्या में परिनियम का पालन किया जा रहा अथवा नहीं। \*  
.....

(\* पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिये लागू)

निरीक्षण समिति द्वारा सत्यापित  
(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर

ब. सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय हेतु  
(महाविद्यालय की सामान्य जानकारी)

महाविद्यालय का नाम			
पता			
ग्राम			
तालुक			
जिला			
पिन			
राज्य			
एस.टी.डी.कोड		फोन नं.	
फैक्स नं.		ई-मेल	
		वेबसाइट	
महाविद्यालय प्रारंभ होने का वर्ष *			
महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने का दिनांक एवं वर्ष (राज्य शासन की अनुमति / विश्वविद्यालय संबद्धता आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें।)*			

(\* पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिये लागू)

1. महाविद्यालय का वित्तीय स्थिति :

(i) संचालन का वित्तीय स्रोत : तालिकानुसार जानकारी आवश्यक रूप से भरें।  
(अंकेक्षण एवं बजट की प्रतिलिपि संलग्न करें यदि लागू हो)

क्रमांक	रसीद		खर्च	
	विवरण	राशि	विवरण	राशि

निरीक्षण समिति द्वारा सत्यापित  
(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष / प्राचार्य के हस्ताक्षर

- (ii) चल / अचल संपत्ति की जानकारी तथा एफ.डी.आर. के संबंध में जानकारी एवं विवरण : एफ.डी.आर. क्र., जारीकर्ता बैंक, दिनांक इत्यादि।

.....

.....

.....

3. भवन की स्थिति यथा / स्वयं का है / शासकीय / लीज पर है / प्रमाण की सत्य प्रतिलिपि, भवन का प्रमाणित नक्शा की प्रतिलिपि, संलग्न करें। \*

.....

.....

.....

4. पिछले वर्ष महाविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की संकायवार / विषयवार जानकारी \*

क्रमांक	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम शुरू होने का वर्ष	पिछले वर्ष प्रवेशरत छात्रों की संख्या	स्वीकृत छात्र संख्या
	कुल छात्र संख्या			

(\* पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिये लागू)

5. अ. महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है / शहरी क्षेत्र में है तथा उसका क्षेत्रफल।

.....

.....

- ब. मूलभूत सुविधा - जैसे प्रसाधन, पीने का पानी, बिजली, वेंटीलेटर, सीवरेज, अग्नि शमन सेल है या नहीं।

.....

.....

- स. ग्रन्थालय एवं वाचनालय

.....

.....

6. महाविद्यालयों में उपलब्ध संसाधन तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल इत्यादि की जानकारी निम्नानुसार दें -

1. प्रारंभिक 50 विद्यार्थियों की भर्ती के लिये संस्था के पास उसकी अपनी कम से कम 2500 वर्ग मीटर (दो हजार पाँच सौ) भूमि होनी चाहिये जो भली भंति सीमांकित हो, और जिसमें से 1500 वर्ग मीटर (एक हजार पाँच सौ वर्ग मीटर) निर्मित क्षेत्र हो तथा शेष भूमि लॉन, खेल के मैदान इत्यादि के लिये हो। अतिरिक्त पचास विद्यार्थियों की भर्ती के लिये संस्थानों के पास 500 वर्ग मीटर भूमि और होनी चाहिये। दो सौ से अधिक और तीन सौ विद्यार्थियों की वार्षिक भर्ती के लिये संस्थान के पास अपनी 3500 वर्ग मीटर (तीन हजार पाँच सौ वर्ग मीटर) भूमि होनी चाहिये। इस अधिनियम की स्थापना से पूर्व स्थापित संस्थाओं के पास एक सौ विद्यार्थियों की अतिरिक्त भर्ती के लिये निर्मित क्षेत्र 500 वर्गमीटर अधिक बढ़ा दिया जाना चाहिये। इस संस्थाओं के लिये अतिरिक्त भूमि की शर्त लागू नहीं है। ( है / नहीं )

अ. बी.एड. के साथ अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिये निर्मित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से होगा।

पाठ्यक्रम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	भूमि क्षेत्र, (वर्ग मीटर)
बी.ए., बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. जिसमें बी.एड. शिक्षा घटक होगा।	1500	2500
बी.एड. एम.एड.	2000	3000

ब. संस्था के पास निम्नलिखित आधारित सुविधा अवश्य होना चाहिये। प्रत्येक मद पी.डब्ल्यू.डी के लिये सुकरिकृत हो।

क्र.	प्राप्त सुविधायें	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के प्रावधानानुसार निर्धारित क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	महाविद्यालय में उपलब्ध क्षेत्रफल (वर्गफीट में)
1.	प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिये दो कक्षा(50 वर्ग.मी.प्रत्येक)		
2.	एक बहुप्रयोजन हॉल जिसमें दो सौ विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता और एक डायस भी हो (2000 वर्ग फुट में)		
3.	पुस्तकालय + वाचनालय कक्ष		
4.	सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र		
5.	पाठ्यचर्चा प्रयोगशाला		
6.	कला और शिल्प संसाधन		
7.	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र		
8.	प्रिन्सिपल कार्यालय		
9.	स्टाफ कक्ष		
10.	प्रशासनिक कार्यालय		

11.	आगतुक कक्ष		
12.	पुरुष और महिला विद्यार्थियों के अलग-अलग कॉमन कक्ष		
13.	सेमिनार कक्ष(100 वर्ग मी.)		
14.	कैंटीन		
15.	पुरुष और महिलाओं विद्यार्थियों के लिये स्टाफ तथा पी.डब्लू.डी. के लिये अलग-अलग प्रसाधन सुविधाएं		
16.	पार्किंग स्थल		
17.	स्टोर कक्ष (दो)		
18.	बहु-प्रयोजन क्रीड़ा स्थल		
19.	अतिरिक्त आवास के लिये खुली जगह		

2. शिक्षा में मास्टर (एम.एड.) डिग्री कार्यक्रम के लिये मानक -

1. बुनियादी सुविधाएं - बी.एड. के साथ एम.एड. के लिये 3000 वर्ग.मी. भूमि होनी चाहिये। निर्मित क्षेत्र 2000 वर्गमीटर का होगा। एक आधार इकाई के अतिरिक्त प्रवेश के लिये न्यूनतम अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र 500 वर्ग मीटर होगा। ( है / नहीं )
2. क्लास रूम - 50 विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये कम से कम दो क्लास रूमों का प्रावधान होगा जिसमें सभी विद्यार्थियों के बैठने के लिये स्थान और फर्नीचर होंगे। कक्षा का न्यूनतम आकार 50 वर्गमीटर होगा। संस्थान में अनुशिक्षण कक्षाओं तथा सामूहिक चर्चाओं के आयोजन के लिये 30 वर्गमीटर के कम से कम तीन कमरे होंगे। ( है / नहीं )
3. संगोष्ठी कक्ष - संस्थान में बहुउद्देशीय हॉल होगा। इसके अतिरिक्त संस्थान में एकक संगोष्ठी कक्ष होगा जिसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और उसका क्षेत्र कम से कम 100 वर्गमीटर के कम से कम तीन कमरे होंगे। ( है / नहीं )
4. संकाय कक्ष - प्रत्येक अध्यापक के लिये एक अलग केबिन होगा जिसमें एक कार्यरत कम्प्यूटर तथा भंडारण स्थान होगा। ( है / नहीं )
5. प्रशासनिक कार्यालय के लिये स्थान - संस्थान कार्यालयी स्टाफ के लिये पर्याप्त जगह उपलब्ध करायेगा, जिसमें फर्नीचर, भंडारण स्थान एवं कम्प्यूटर की सुविधा होगी। ( है / नहीं )
6. कामन रूम - संस्थान कम से कम दो पृथक रूम होंगे, एक पुरुषों के लिये और एक महिलाओं के लिये। ( है / नहीं )

7. उपकरण एवं सामग्री ।

अ.) लाईब्रेरी - संस्थान/विश्वविद्यालय का पुस्तकालय सांक्षा होगा तथा कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उसमें एम.एड. कार्यक्रम के लिये कम से कम 1000 पुस्तकें (प्रासंगिक पाठ्यपुस्तकों की कई प्रतियाँ) होगी, जिसमें सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित संदर्भ पुस्तकें, लेख एवं एम.एड. कार्यक्रम में नियोजित उपागमों संबंधी साहित्य, शैक्षणिक विश्वकोश, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडी-रोम) जिसमें ऑनलाईन संसाधन तथा कम से कम पाँच शोध-पत्रिकाएं जिसमें से एक अंतराष्ट्रीय प्रकाशन हो होगी। पुस्तकालय के संसाधनों में राअशिप, एन.सी.ई.आर.टी. तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं शोध-पत्रिकाएं होगी। प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में मंगायी जायेंगी। पुस्तकालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये फोटोकापी की सुविधा तथा इंटरनेट की व्यवस्था होगी।  
( है / नहीं )

ब.) संसाधन केन्द्र - एक विशेष संस्थान केन्द्र सह विभागीय पुस्तकालय के रूप से कार्य करेगा। यह केन्द्र विभिन्न प्रकार के संसाधन तथा सामग्री उपलब्ध करायेगा। जिससे शिक्षण-अधिगम की गतिविधियों का रूपांकन एवं चयन किया जा सकेगा। श्रव्य-दृश्य उपकरण- टी.वी., डी.वी.डी., एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, फिल्में (वृत्तचित्र, बाल फिल्में, सामाजिक सरोकारों/मुद्दों से जुड़ी रिकार्डिंग यंत्र तथा ऐच्छिक रूप से आरओटी (सेटेलाईट रिसेव ओनली टर्मिनल) एवं एस.आई.टी. (सेटेलाईट इंटरैक्टिव टर्मिनल) भी उपलब्ध करायेगा।) ( है / नहीं )

8. अन्य सुविधाएं -

अ) निर्देशन एवं अन्य उद्देश्यों के लिये आवश्यक संख्या में सुचारु एवं समुचित प्रयोगशाला एवं फर्नीचर। ( है / नहीं )

ब) वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था। ( है / नहीं )

स. संस्थान में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। ( है / नहीं )

द. परिसर, जल संसाधनों, शौचालयों (पुरुष, महिला एवं अध्यापक के लिये पृथक) की प्रतिदिन साफ-सफाई की प्रभावी व्यवस्था, फर्नीचर के रख-रखाव और अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि की व्यवस्था। ( है / नहीं )

7. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक / अशैक्षणिक पद का नाम एवं उसमें नियुक्त किये गये व्यक्ति का नाम :- \*

1. (अशासकीय महाविद्यालय हेतु कॉलेज कोड 28 के प्रावधानुसार नियुक्तियों को पृथक से दर्शाये ) \*

शैक्षणिक

क्र.	शिक्षकों का नाम	पद	योग्यता	पदभार ग्रहण करने की तिथि	नियमित नियुक्ति का अनुभव	कुल वेतन	शिक्षकों के हस्ताक्षर

अशैक्षणिक

क्र.	कर्मचारियों का नाम	पद	योग्यता	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कुल वेतन	शिक्षकों के हस्ताक्षर

(\* पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिये लागू)



नोट :-

1. अनुभव व योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र एवं नियुक्ति पत्र संलग्न करें।
2. सेवा पुस्तिका का विवरण नरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
3. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की प्रमाणित सूची संलग्न करें।
8. नियुक्त व्यक्तियों का वेतन विवरण तथा यू.जी.सी. / समन्वय समिति द्वारा निर्धारित अन्य, वेतन, चेक द्वारा अथवा कैश दिया जाता है।\*

( \* पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिये लागू )

निरीक्षण समिति द्वारा सत्यापित  
(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर

## निरीक्षण दल का टीप

1. क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल नियुक्त है अथवा नहीं ?\*
2. पिछले वर्ष छात्रों को उपस्थिति पंजी के रख-रखाव के संबंध में जानकारी तथा उपस्थिति प्रतिशत पूर्ण न होने की स्थिति में गत वर्ष कितने छात्रों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा ।\*
3. महाविद्यालय द्वारा पिछले वर्ष संचालित की गई परीक्षाओं की जानकारी ।\*
4. यदि प्राचार्य नियुक्त है तो उसका नाम, योग्यता, अध्यापन अनुभव की जानकारी ।\*
5. महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति परिनियम 28 के प्रावधानानुसार की गई है अथवा नहीं?  
(अशासकीय महाविद्यालय की स्थिति में)\*
6. ग्रंथालय छात्र संख्या के अनुरूप पर्याप्त है अथवा नहीं एवं छात्रों हेतु अध्ययन कक्ष उपलब्ध है अथवा नहीं ।  
(न्यूनतम 3000 पुस्तकें तथा न्यूनतम 1000 शीर्षक, टेस्ट बुक, संदर्भ ग्रंथ, जर्नलस इत्यादि)

(i) विषयवार/पाठ्यक्रमवार अनुशंसित पुस्तकों की संख्या ।

विषयवार पाठ्यक्रम	पुस्तकों की संख्या	निरीक्षण दल की टिप्पणी

7. कार्यालय संचालन हेतु लिपिक, लेखापाल, भृत्य इत्यादि की संख्या \* :
8. महाविद्यालय का बजट, अंकेक्षण द्वारा कैशबुक भरे जाने के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी \*
9. छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ के लिये पृथक-पृथक कक्ष, टायलट तथा कामन रूम उपलब्ध है अथवा नहीं है ?

(\* पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिये लागू)

10. महाविद्यालय में सूचना पटल की संख्या ।

11. अकादमिक कलेण्डर का पालन किया जाता है अथवा नहीं ? \*

पिछले वर्ष की महाविद्यालय की समय सारणी संलग्न करें ।

12. महाविद्यालय कितने पाली में संचालित है तथा प्रत्येक का समय एवं अन्य विवरण अंकित करें।\*

i. पाठ्यक्रम हेतु प्रयोगशालाओं/उपकरण/रसायनों की स्थिति (पाठ्यक्रमानुसार प्रयोग संख्या संभव)

विषय	पाठ्यक्रम	प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों की संख्या	प्रयोग सामग्री	पाठ्यक्रम अनुरूप प्रयोग संख्या

ii. कम्प्यूटर की संख्या

iii. फर्नीचर की संख्या (कक्षावार)

iv. हास्टल ब्याज/गर्ल्स

v. आडिटोरियम

vi. कैंटीन

vii. हेल्थ केयर इत्यादि

viii. पाठ्यक्रमानुसार लिया जाने वाला शुल्क (चालान की छायाप्रति संलग्न करें)

पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क विवरण

(\* पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिये लागू)

13. पिछली निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया अथवा नहीं विवरण दें\* :

14. पिछले निरीक्षण समिति के शर्तों के परिपालन का विवरण दें \*।

संलग्न : (महाविद्यालय द्वारा आवश्यक रूप से छायाप्रति लगाया जावे)

क्र.	रिकार्ड	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	प्रवेश पंजीयक			
2	वेतन पंजीयक			
3	एकल सेवा रिकार्ड			
4	कर्मचारी उपस्थिति पंजीयक			
5	विद्यार्थी उपस्थिति पंजीयक			
6	प्रबंध समिति की बैठकों के मिनिट्स			
7	शुल्क जम पंजीयक			
8	उपकरण/रसायन का स्टाफ पंजीयक			
9	किताबों पर शोध पत्रिकाओं का एक्सेशन पंजीयक			
10	पाठ्यक्रम के अनुसार उपलब्ध उपकरणों की सूची (विषयवार)			

(\* पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिये लागू)

15. संबंधित महाविद्यालय/संस्था को निम्नलिखित दस्तावेजों की अभीप्रमाणित छायाप्रतियाँ निरीक्षण समिति के संयोजक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा (एन.सी.टी.ई. नियम 2014 के अनुसार)

1. सोसायटी/न्यास का पंजीकरण तथा फर्म का गठन की ब्योरा ।
2. भूमि के दर्जीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र (डायर्वसन की सत्यापित छायाप्रति)
3. संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।
4. आवेदक के नाम से पंजीकृत भूमि/सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज को सत्यापित प्रति एवं बी-1, बी-2 खसरा।
5. सरकार द्वारा कालेज आरंभ करने के लिये सोसायटी/न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश के साथ ही आरंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम का ब्योरा संबंधी अभिलेख ।
6. सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा ।
7. प्रस्तावित महाविद्यालय के लिये पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित महाविद्यालय के लिये भूमि को चिन्हित किया गया हो ।
8. संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारमुक्त प्रमाणपत्र एवं भवन पूर्णता प्रमाण पत्र ।

## 16. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का आधार –

- 1- In the absence of state government's declaration regarding the saturation in the teacher education on the basis of demand and supply.
- 2- It is the university's outlook to check the block/district wise density of teacher education institutions and demand and supply.
- 3- At the point of application, the applicant may not be having the infrastructure and staff etc.
- 4- The NOC may be clearly mentioned that – This NOC is subjected to partial fulfillment of the application for recognition of new teacher education course by the NCTE.
- 5- A transparent procedure may be adopted in granting NOC's so that to avoid legal issues in this regard. Executive and Academic councils may have role in establishing the transparency.
- 6- Page 96, clause 10 informs that university shall grant affiliation only after issue of the formal recognition order by NCTE and admissions by the institution shall be made only the affiliation process done by the University.

### निरीक्षण समिति की अनुशंसा

1. विषय/पाठ्यक्रम जिसे निम्न बिन्दुओं के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की स्पष्ट अनुशंसा निरीक्षण समिति द्वारा अंकित होनी चाहिये –
  - अ. प्रथमतः एम.एड. कार्यक्रम हेतु संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा नेक मूल्यांकन के लिये आवेदन किया गया हो । तथा इसके अतिरिक्त बी.एड. एवं एम.एड. कार्यक्रम संचालन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कंडिकाओं के साथ ही कंडिका क्र.15 एवं 16 में अपेक्षित बिन्दुवार अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

विषय / पाठ्यक्रम	विद्यार्थी संख्या

टीप : निरीक्षण समिति का यह दायित्व होगा कि बी.एड./एम.एड. कार्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय/संस्थानों से यह शपथ-पत्र ले कि वे एन.सी.टी.ई. की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 एवं विश्वविद्यालय परिनियम 28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य सहित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्तियों कराने के उपरांत ही विश्वविद्यालय की संबद्धता की मांग करेंगे ।

संयोजक

सदस्य

सदस्य